



राजस्थान-सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ04(एएमएनजेवाई/ऑनलाईन रिपोर्टिंग/2014-15/237-

दिनांक: 26/5/15

समस्त संयुक्त निदेशक जोन,
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी,
समस्त ब्लाक चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी।

विषय:- मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अन्तर्गत प्रतिदिन की जाने वाली निःशुल्क जांचों एवं
लाभान्वित मरीजों की संख्या की आनलाईन रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना से सम्बन्धित समय-समय विधानसभा प्रश्नों एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के क्रम में मुख्यालय से चिकित्सा संस्थान की जांचों एवं लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या चाही जाती है।

इस सम्बन्ध में e-ausdhi software में इन्द्राज निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या एवं आपके कार्यालय से प्राप्त सूचना में निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या में काफी अंतर पाया जाता है जिसके कारण सही संख्या का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है एवं राज्य सरकार को सही सूचना प्रेषित नहीं की जा सकती है। अतः निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का नियमित इन्द्राज अतिआवश्यक है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अन्तर्गत आपके जिले के चिकित्सा संस्थानों हेतु वांछित बजट आपको उपलब्ध करवा दिया गया है, परन्तु बार-बार निर्देशित करने के उपरान्त भी चिकित्सा संस्थानों द्वारा e-ausdhi software में निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित मरीजों की संख्या का इन्द्राज नहीं किया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार को निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित मरीजों की वास्तविक रिपोर्ट नहीं भिजवाई जा रही है इसे राज्य सरकार द्वारा नभीरता से लिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि यदि किसी चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रतिदिन निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित मरीजों की संख्या का इन्द्राज नहीं किया जा रहा है तो उस चिकित्सा संस्थान को बजट आवंटन ना किया जावे एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाये।

इस हेतु ब्लाक चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी को निर्देशित करें की :

- यदि किसी चिकित्सा संस्थान में LT/ALT नहीं है एवं कफ (sputum) एवं MP जांचों का कार्य निकटतम चिकित्सा संस्थान में करवाया जा रहा है तो उनकी संख्याओं का इन्द्राज अपने चिकित्सा संस्थान में ही करवावे।
- यदि किसी चिकित्सा संस्थान में I/A/D/E/O नहीं है तो निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित मरीजों की संख्या का इन्द्राज निकटतम चिकित्सा संस्थान या ब्लाक स्तर पर करवाया जावे।

अतः आप सुनिश्चित करे की आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों द्वारा नियमित रूप से e-ausdhi software में निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित मरीजों की संख्या का इन्द्राज किया जावे एवं बजट आवंटन उन्ही चिकित्सा संस्थानों को किया जावे जिनके द्वारा नियमित रूप से जांचों एवं लाभान्वित मरीजों की संख्या का इन्द्राज किया जा रहा है इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

अतः आप सुनिश्चित करे कि आपके अधीन चिकित्सा संस्थान (संलग्न सूची अनुसार रिपोर्टिंग नहीं करने वाले एवं सभी चिकित्सा संस्थानों द्वारा) योजना आरम्भ से अभी तक की गई निःशुल्क जांचों एवं लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या का पूर्ण रूप से इन्द्राज किया जावे ताकि विधान सभा प्रश्नों एवं राज्य सरकार को सही सूचना प्रेषित की जा सके।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ04(एएमएनजेवाई/ रिपोर्ट/2014-15/
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक :

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वा0 विभाग राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, थि0 एवं स्वा0 विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एन.एच.एम., जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रबन्धक निदेशक आरएमएससी, जयपुर।
5. नोडल अधिकारी/परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, जयपुर।
6. समस्त बायोमेट्रिकल इंजीनियर आरएमएससीएल को भेज के लेख है कि अपने अधीन चिकित्सा संस्थान की ऑनलाईन रिपोर्टिंग पूर्ण करवाकर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को रिपोर्ट प्रेषित करें।
7. शिक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ